

I/366810/2024

वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अतिरिक्त प्रो मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हिं०प्र०।

प्रेषित: उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौगबुड़,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक शिमला-1

विषय: **Diversions of 1.8916 hectare of forest land in favour of NHAI, Vasant Vihar, PIU, Dehradun for the Up gradation of Paonta Sahib Ballupur Dehrudun Section from 97 Km to 149 Km of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh, development of by pass to Paonta Sahib between Kms. 98.3 Kms to 104 Kms of NH-72 in the State of H.P. within the jurisdiction of Paonta Forest Division, Distt. Sirmour, H.P. (FP/HP/Road/144814/2021)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPC/10/30/2022 दिनांक 21/10/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्दूतिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

- 1^ए वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 2^ए परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 3^ए प्रतिपुरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपुरक पौध रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जहां व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) जिला लाहौल स्पिति में स्थाई बंदोवस्त न होने के कारण वन भूमि का खसरा नम्बर उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता।

(ग) वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) प्रतिपुरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपुरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकांन व स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में जमा करा दी गई है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

- 4^ए शुद्ध वर्तमान मूल्य:
क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

5^ए राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08. 02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओदश लागू नहीं होगा।

- 6^ए The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded in E-green watch portal before the final approval. Undertaking in this regard, it is uploaded with the compliance report of Stage-I approval by the user agency.
- 7^ए The user agency has deposited the amount of SMCP at per stipulations in Ad-hoc CAMPA account.
- 8^ए In this regard, undertaking in this effect as submitted by DFO/UA concerned is enclosed herewith.
- 9^ए एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 10^ए प्रयोक्ता अभिकरण आई आर0 सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 11^ए संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।
- 12^ए प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि पर 34 पेड़ों का कटान किया जाएगा। वचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 13^ए प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जा भी कम हो, लक्षित किया जाएगा जिसकी वचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 14^ए आस-पास के क्षेत्र व वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- 15^ए परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पॉर्टल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी 3375238/- रु0, शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी 1899847/- रु0, तथा **Soil Moisture & Conservation Plan** की राशी 2560257+ 1989743 = 45,50000, जो कुल 9825085/- रु0 बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है।
- 16^ए इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 17^ए केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 18^ए वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

I/366810/2024

- 19^ए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 20^ए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकरण किया जाएगा। वचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 21^ए परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा जिसकी वचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 22^ए वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 23^ए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन बद्धता की प्रति संलग्न है।
- 24^ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय-समय पर निर्धारितशर्त मान्य होगी।
- 25^ए इस शर्त से सम्बन्धित वचनबद्धता संलग्न है।
- 26^ए यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
- 27^ए इनमें से किसी भी शर्त का या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यावाही की जाएगा। वचनबद्धता सलान है।
- 28^ए अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अतिरिक्त प्रमुख
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हिरोप्रो

HPFD-F05/116/2023-FCA-HIMACHAL PRADESH FOREST DEPARTMENT

I/366810/2024